न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./02/2023

1. अम्बालाल पुत्र हीरा जाति कीर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र सुजान जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. लाली पुत्री सुजान जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. शांति देवी पत्नी सुजान जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सत्यनारायण पुत्र सुजान जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. कैलाश पुत्र मदन जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. रतन पुत्र मदन जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. सुजाण पुत्र मदन जाति खाती निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. गोपाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. रामचन्द्र पुत्र जयकिशन जाति दरोगा निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
10. कैलाशी पत्नी कैलाश जाति गुसाई निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
11. शंकर पुत्र कैलाश जाति गुसाई निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
12. सुखदेव पुत्र कैलाश जाति गुसाई निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
13. आशा पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. काली पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
15. खुशीराम पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
16. घीसा पुत्र हमीरा जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
17. दूदा पुत्र हमीरा जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
18. बरदी पुत्र हमीरा जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
19. मोना पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
20. लाड़ देवी पत्नी कल्याण जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
21. हगामी पुत्री हमीरा जाति गुर्जर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
22. सुरतराम पुत्र चन्द्रा जाति कीर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
23. कृष्णगोपाल पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
24. नौरती देवी पुत्री भूरालाल जाति ब्राह्मण निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
25. हाथीराम पुत्र रामेश्वर जाति भांबी निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
26. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल जाति बलाई निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
27. कन्या पुत्र काना जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
28. गोपाल पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
29. भैरू पुत्र काना जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
30. भागचन्द पुत्र काना जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
31. नाथु पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
32. फूमा पत्नी छोगा जाति रेगर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

३३ कैलाश पुत्र छुट्टा जाति जाट निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
३४ छोटू पुत्र छुट्टा जाति जाट निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
३५ रघुवीर पुत्र छुट्टा जाति जाट निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
३६ बद्रीनाथ बालक पुत्र देवी जाति मीर निवासी कैरोट तहसील भिनाय जिला केकड़ी
३७ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थितः 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 13 में दर्ज खसरा नं. 1091 रकबा 1.20, खसरा नम्बर 1764 रकबा 0.43 और खसरा नम्बर 1765 रकबा 0.85 कुल किता 03 कुल रकबा 2.48 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 36 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 37 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।रा

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण संख्या 01 08 व 13 लगायत 26 और 28, 31, 33 34, 35, व 36 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 08 व 13 लगायत 26 और 28, 31, 33 34, 35, व 36 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अधिवक्ता श्री शिवकुमार जोशी द्वारा अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 11 तथा 27, 29, 30, एवं 32 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 मे पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 09 लगायत 11 तथा 27, 29, 30, एवं 32 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली मे जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र मे संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कैरोट के खाता संख्या 13 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 मे स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कैरोट पटवार क्षेत्र कैरोट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 13 मे दर्ज खसरा नं. 1091 रकबा 1.20, खसरा नम्बर 1764 रकबा 0.43 और खसरा नम्बर 1765

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

रकबा 0.85 कुल किता 03 कुल रकबा 2.48 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)